"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2015—माघ 24, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र प्रसाद पटेल पिता श्री गेंद लाल पटेल, आयु 54 वर्ष, जाति मरार, निवासी नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3, तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद पटेल दर्ज है तथा मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त रिकार्ड में मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राजेन्द्र प्रसाद पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेन्द्र प्रसाद पटेल पिता श्री गेंद लाल पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेन्द्र प्रसाद पिता-श्री गेंद लाल पटेल निवासी-नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3 तहसील-पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)	राजेन्द्र प्रसाद पटेल पिता-श्री गेंद लाल पटेल निवासी-नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3 तहसील-पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. नेहा अग्रवाल आत्मजा-श्री रवि अग्रवाल, आयु 25 वर्ष, निवासी-रिद्धि-सिद्धि कालोनी, मकान नं. 8, कौरिनभाठा, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम निलेश्वरी अग्रवाल आ. रवि अग्रवाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नेहा अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे नेहा अग्रवाल आत्मजा श्री रवि अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
निलेश्वरी अग्रवाल आत्मजा-श्री रवि अग्रवाल निवासी-रिद्धि-सिद्धि कालोनी, मकान नं. 8, कौरिनभाठा राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	नेहा अग्रवाल आत्मजा-श्री रवि अग्रवाल निवासी-रिद्धि-सिद्धि कालोनी, मकान नं. 8, कौरिनभाठा राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती करूणा परमार ध.प. रमेश कुमार परमार, उम्र 55 वर्ष, निवासी-शान्तीनगर, कोहका, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम करूणा पटेल आत्मजा केशव जी पटेल था. मेरा विवाह दिनांक 1-11-1982 को रमेश कुमार परमार के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मेरे पति ने अपने सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती करूणा आर. परमार अंकित कराया. मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड तथा बैंक एकान्ट में मेरा नाम श्रीमती करूणा परमार दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती करूणा परमार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती करूणा परमार ध.प. श्री रमेश कुमार परमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती करूणा आर. परमार ध.प. श्री रमेश कुमार परमार निवासी-शान्तीनगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती करूणा परमार ध.प. श्री रमेश कुमार परमार निवासी-म. नं. 1026, सड़क-19, शान्तीनगर कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, के. जेजेश्वर राव पिता श्री के. गुरूमूर्ति, आयु 25 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 19 ई., जोन 2, सड़क नं. 53 घ, वार्ड नं. 32 खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे दत्तक पिता श्री के. गुरूमूर्ति द्वारा दिनांक 27-08-2014 को पंजीकृत दत्तक विलेख द्वारा गोद लिया गया है. दत्तक ग्रहण के पूर्व मेरा नाम जी. जेजेश्वर राव पिता स्व. जी. गोपालू था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम के. जेजेश्वर राव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे के. जेजेश्वर राव पिता श्री के. गुरूमूर्ति के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जी. जेजेश्वर राव पिता-स्व. जी. गोपालू निवासी-क्वा. नं. 19 ई, सड़क नं. 53 घ, जोन 2, सेक्टर-11, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	के. जेजेश्वर राव पिता-श्री के. गुरूमूर्ति निवासी-क्वा. नं. 19 ई, सड़क नं. 53 घ, जोन 2, सेक्टर-11, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ऐश्वर्या पाण्डेय पुत्री श्री अजय पाण्डेय, उम्र 19 वर्ष, निवासी-31/666, न्यू शांतिनगर रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे कु. पल्लवी पाण्डेय पिता श्री अजय पाण्डेय के नाम से जानी, पहचानी एवं लिखी पढ़ी जाती थी. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कु. ऐश्वर्या पाण्डेय रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे ऐश्वर्या पाण्डेय पिता श्री अजय पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पल्लवी पाण्डेय पिता-श्री अजय पाण्डेय निवासी-31/666, न्यू शांतिनगर, रायपुर (छ.ग.)	ऐश्वर्या पाण्डेय पिता-श्री अजय पाण्डेय निवासी-31/666, न्यू शांतिनगर, रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पद्माकान्त पाण्डेय आत्मज चन्द्रकेशव पाण्डेय, उम्र 50 वर्ष, निवासी-सेक्टर 11, जोन 1, गौतम नगर, खुर्सीपार, वार्ड नं. 29, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं अपने भाई रमाकान्त पाण्डेय आ. चन्द्रकेशव पाण्डेय व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रमाकान्त पाण्डेय, निवासी-पो-कोहडार टप्पा, परगना खैरागढ़, तह. मेजा, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के पुत्र आकाश पाण्डेय को गोदनामा दत्तक विलेख दिनांक 31-7-2014 को पंजीकृत उप पंजीयक, संदीप कुमार, मेजा इलाहाबाद के समक्ष निष्पादित करवाया. मैं अपने दत्तक पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम आकाश पाण्डेय आ. पद्माकान्त पाण्डेय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को आकाश पाण्डेय आत्मज श्री पद्माकान्त पाण्डेय माता श्रीमती बिजय देवी पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आकाश पाण्डेय पिता-रमाकान्त पाण्डेय माता-श्रीमती सुनीता देवी पाण्डेय निवासी-पो. कोहडार, टप्पा कोहडार, परगना खैरागढ़ तहसील मेजा, जिला-इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	आकाश पाण्डेय पिता-पद्माकान्त पाण्डेय माता-श्रीमती बिजय देवी पाण्डेय निवासी-सेक्टर 11, जोन 1, गौतम नगर, खुर्सीपार, वार्ड नं. 29 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/16.—वृहद उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. जमराव पंजीयन क्रमांक-1806 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/1129 दुर्ग दिनांक 26-09-2014 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत वृहद उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. जमराव पंजीयन क्रमांक-1806 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/58.—मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्या. पाटन पंजीयन क्रमांक-2161 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/684 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्या. पाटन पंजीयन क्रमांक-2161 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.